(3) दावे के साथ [illegible] दावे की प्रति संलग्न की है अथवा नहीं।
(5) प्रतिवादीगण के सम्मन मय प्रतियों के प्रस्तुत किये हैं अथवा नहीं।
[illegible] बैंक ऋण है तो बैंक पक्षकार है या नहीं।
अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ

श्रीमान /SDM [illegible]

वकील वादी द्वारा एडमिशन बहस की गई। वकील वादी द्वारा न्यायालय के समक्ष निवेदन किया गया कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 विधि विरुद्ध तरीके से गलत जगह पर नक्का बनाकर सिंचाई सुविधा से वंचित कर रहे है, अतः धारा 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिवादीगण को व्यादेशित किया जावे कि वे पत्थर संख्या 79/64 (48) किला नं. 25 के दक्षिण पूर्व बने हुए नक्के को किसी प्रकार से छेड़छाड़ या हटाने व तोड़ने से बाज व ममनु रहे।

न्यायालय द्वारा वकील वादी से यह स्पष्टीकरण चाहा गया कि किस प्रकार हस्तगत वाद धारा 92ए के तहत संस्थित किए जाने संबंधी तात्विक आवश्यकताओं का पूरा करता है -

- क्या सिंचाई संकर्म यथा नक्के का निर्माण, स्थान परिवर्तन आदि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 द्वारा प्रदत्त अधिकार है? क्योंकि धारा 92ए के तहत कोई वाद केवल राजस्थान अभिधृति अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार के ~~लिए~~ प्रवर्तन के लिए ही फाईल किया जा सकता है।

- यदि हां, तो क्या वांछित अनुतोष (व्यादेश) विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 के अध्याय 7 अथवा 8 के अधीन देय है?

वकील वादी ने अपनी बहस में [illegible] प्रस्तुत की कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 19[illegible] की धारा [illegible] परिभाषा खण्ड में भूमि की परिभाषा में जल को भी शामिल [illegible] किया गया है। अपने [illegible] के समर्थन में वकील वादी द्वारा न्यायिक दृष्टान्त 'रामचन्द्र vs. लखा, 1972 RRD 118' प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार 'well constructed for agricultural purposes through not defined in the Act,

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.10.11 12:32:45 IST
Reason: SelfAttested

included within definition of Land.'

न्यायालय द्वारा संबंधित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया एवं वकील वादी द्वारा बहस में उठाए गए बिन्दुओं पर मनन किया गया।

न्यायालय के मुख्य प्रेक्षण एवं निष्कर्ष निम्नानुसार है-

(i)- धारा 5(24) के अन्तर्गत भूमि में जल शामिल नहीं है, वरन् जल से ढकी हुई भूमि; भूमि के अन्तर्गत शामिल है। नक्का, मोघा आदि सिंचाई संकर्मों से संबंध संरचनाएँ है।

(ii) सिंचाई संकर्मों से संबंध अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम द्वारा प्रदत्त नहीं है बल्कि राजस्थान सिंचाई तथा जल निकास अधिनियम, 1954 के तहत प्रवृत होते है। अतः न्यायालय की राय में वादी द्वारा वांछित अनुतोष को धारा 92 ए रा.का.अ. के तहत प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता।

(iii) हस्तगत वादपत्र में न तो वादी के पक्ष में विद्यमान किसी बाध्यता के भंग का निवारण का बिन्दु है, न कोई ऐसे बाध्यता है, जो संविदा से उद्भूत होती हो और न ही वादी के सम्पत्ति के अधिकार के उपभोग पर आक्रमण किया जाता अन्तर्वलित है। फलतः हस्तगत वादपत्र में वांछित अनुतोष विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 के अध्याय 7 अथवा 8 के तहत देय नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार वादी द्वारा हस्तगत वादपत्र में वांछित अनुतोष (अधिकार) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम द्वारा प्रदत योग्य न होने के कारण एवं विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 के अध्याय 7 अथवा 8 के तहत न आने के कारण हस्तगत वादपत्र एडमिशन स्टेज पर ही खारिज योग्य है।

—: आदेश :—

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को आदेश VII नियम 11 सीपीसी के तहत एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

फैसला सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.10.11 12:32:45 IST
Reason: SelfAttested

14/9/21

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़